

## प्राक्कथन

मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के महानियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की इस प्रतिवेदन में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल है जिसे संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा 2004-05 से 2008-09 की अवधि को शामिल करते हुए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राज्य केन्द्रक विभागों, जिला प्राधिकरणों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2009 के बीच की गई थी।